

जनपद चमोली अन्तर्गत थिरपाक-काण्डई मोटर मार्ग के किमी 0.02 से चोपड़ा कोट तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.367 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.734 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/152/2016/एफ०सी०/174 दिनांक 20.4.2018 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी चमोली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली अन्तर्गत थिरपाक-काण्डई मोटर मार्ग के किमी 0.02 से चोपड़ा कोट तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.367 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम तोलना, रा०उ०नि० क्षेत्र माणखी, तहसील घाट की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-03 के खसरा सं०-252 रकबा 5.309 है० भूमि मध्ये 4.734 है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3) ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(II) /2012-18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस० भदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 1531 / छब्बीस-08 (2019-2020) गोपेश्वर दिनांक: 07 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।

AED/ RKL/A कर्णप्रयाग

जिलाधिकारी,
चमोली।

पत्र सं० 288/110/21/12/19 दिनांक 21/12/2019
प्रतिलिपि स्वधायक वनाधिकारी प्रथम/वृक्षारोपण अभियन्ता को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

94

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

नकल खतौनी (ज० वि० २०)

ग्राम - तौनला, प० वृ० - माणखी तहसील - घाट जिला - चमोली

श्रेणी - १(३) ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि

1	2	3	4	5	6	
3	बंजर		23 24 25 X X X 252 X X 434	6111 9611= 2= X X X 2641= X X 611= -	0.155 0.352 0.122 X X X 5.309 X X 0.152 -	<u>आदेश</u> डीमान जिलाधिकारी महोदया चमोली के आदेश पत्र सं० 1531/द्वीस-08 (2019-2020) गौप्येश्वर दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 के अनुपालन में विरपाक कांस्टेबल मोटर मार्ग के कि०मी०-02 से चोपडाकोट तक मोटर मार्ग से प्रभावित होने वाली 2.367 हे० वन भूमि के सापेक्ष दृष्टिपूर्वक वृद्धिपूर्ण हेतु ग्राम तौनला खसरा न० 252 रकबा 5.309 हे० मध्ये 4.734 हे० भूमि वन विभाग के नामान्तरण हस्तान्तरण करने के आदेश पारित होने पर अमल दशमद किया। ह० अ० शा० उ० नि० माणखी 15/02/2020
	योग -	40	666111-	19.956		

नोट :- नकल N2A खतौनी असल से तैयार की गयी है।

02/07/2020
पहसीवि
माट. (चमोली)

02/07/2020
कुलदीप शाह
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र Mankhi
तहसील - घाट (चमोली)

ਸੰਗੀ-੮੩੩ ਭੁ. ਭਾਗ ਮੁਕਿ ਪਾਠਧ ਵਜਾਏ ਰਹਿ

d			
द्वारा	ΔO	19.956	

माल दत्त देवराडौ
रा० उ० नि० क्षेत्र
तहसील.....
जिला-चमाली

13103115